ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 243-246
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

परंपरागत भारतीय समाज एवं जजमानी व्यवस्था : मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड के संबंध में

डॉ0 चंद्रिका प्रसाद

एसोसिएट प्रोफेसर, सेवानिवृत्त– समाजशास्त्र विभाग, एम. एम. कालेज– बिक्रम, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पटना (बिहार), भारत

Received- 07.05.2019, Revised- 12.05.2019, Accepted - 17.05.2019 E-mail: -aaryvrat2013@gmail.com

सारांश : *भारतीय समाज में जजमानी व्यवस्था अधिसंरचना के साथ–साथ अधोसंरचना के स्तर तक अपना प्रभाव कायम किए हुए था। यह व्यवस्था पारस्परिक अंतर निर्भरता की व्यवस्था थी। ग्राम्य जीवन, परिवार, विवाह नातेदारी, अंतः क्रियात्मक संबंध, नीतियां, परंपरा इत्यादि में जजमानी व्यवस्था की जड़े जमी हुई थी। यह व्यवस्था पुरोहित और कमीन के मध्य एक संबंध स्थापित करने वाली व्यवस्था थी, जो व्यक्ति को समाज से जोड़े हुए था। वर्तमान में इसकी महता किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। जीवन जीने से लेकर विभिन्न यज्ञ आदि तक जजमानी व्यवस्था एक आवलंबन का कार्य करता था। वर्तमान में झलक अनुष्ठानों में देखी जा सकती है।*

कुंजीभूत शब्द– जजमानी व्यवस्था, अधिसंरचना, अधोसंरचना, पारस्परिक, जीवन, परिवार, विवाह नातेदारी ।

अध्ययन का उद्देश्य– प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य परंपरागत भारतीय समाज में जजमानी व्यवस्था की प्रगाढ़ता को जानना है जजमानी व्यवस्था भारतीय समाज में पारस्परिक अंतर निर्भरता का कारक रहा है पुरोहित और कमीन के बीच अन्य वनाश्रय संबंध को दर्शाने वाला यह व्यवस्था मौसमी बेरोजगारी को दूर करने का एक साधन है।वर्तमान सबवे समाज में जजमानी व्यवस्था की प्रगाढ़ता एवं जल को स्थापित करने वाले कारकों की तलाश करनी है पिछड़ा समाज जनजातीय समाज आदिम जनजाति ग्रामीण समाज में जजमानी व्यवस्था के बदले हुए रूप की पहचान करना है। विवाह नातेदारी अंतर क्रिया समाजिक संबंध के बीच जजमानी प्रथा का पुट विभिन्न रूपों में विद्यमान रहा है परंपरा के आधुनिकीकरण के साथ–साथ इस प्रथा में भी आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिला है। इन परिवर्तनों को जानने का प्रयास किया प्रस्तुत अध्ययन में किया गया है।

उपकल्पना का निर्माण – ं. परंपरागत भारतीय समाज में जजमानी व्यवस्था एक अंग के रूप में विद्यमान है द्य

इ. जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत लोगों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है ।

ब. जजमानी व्यवस्था हर वर्ग के जाति समूह के लोगों के लिए लाभप्रद है ।

क. यह व्यवस्था विश्व की अनोखी व्यवस्था है ।

पद्धति शास्त्र– इसके अध्ययन के लिए अवलोकन पद्धति का इस्तेमाल किया गया है।

इ. अध्ययन क्षेत्रत्रू मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड को लिया गया है। यहा से बूढ़ी गंडक नदी बहती है। यह जिला के पश्चिम भाग में अवस्थित है।यह हाल ही में भारत सरकार द्वारा मेगा फूड पार्क बनाने की घोसना की गई है जो भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क होगा। यह प्रखंड चीनी उत्पादन के लिए मशहूर रहा है। वर्तमान में यह से हर तरह के फसल की खेती होती है।कभी गांधी जी इसी रेलवे रूट से चंपारण गए थे।यह प्रखंड राजमार्ग से भी जुड़ा हुआ है।

ब. अवलोकन के लिए इंटरव्यू के टूल्स का उपयोग किया गया। 100 उत्तरदाताओं को इंटरव्यू के लिए लिया गया। इस शोध के अंतर्गत 50 पुरुष 50 महिलाएं लिए गए। शिक्षा, जाति, नगरीय, शासकीय, ग्रामीण, लिंग इत्यादि के आधार पर लोगों से कई प्रश्न पूछे गए। लोगों ने अपनी समझ, जानकारी, अनुभव और सामाजिक व्यवहार के आधार पर उत्तर दिया। इन लोगों ने उत्तर देने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। सभी लोगों ने आगे बढ़कर उत्तर दिया।

अध्ययन की प्रासंगिकता– जजमानी' वैदिक शब्द है जिसका इस्तेमाल उस संरक्षक के लिए होता है जो समुदाय के लिए कोई यज्ञ संपन्न कराने के निमित्त से किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता है। अपने मूल अर्थ में जजमानी आर्थिक संबंध का मतलब सेवाओं के बदले उपहारों का विनिमय था या भविष्य में हो सकता था। यह अर्थ आज भी नहीं बदला है। परंतु इसकी परिसीमा समय के साथ बदल गई है। संरक्षण वाले सभी संबंधों को अब यह अपने साथ सन्निहित कर चुका है। न केवल पारिवारिक पुरोहित को बल्कि गाँव के सभी विशेषज्ञों को संरक्षण देना परिवार के लिए विशेषाधिकार और जिम्मेदारी समझी जाती थी। इस व्यवस्था में चमार, धोबी, नाई, कुम्हार, लुहार आदि सभी की सेवाओं को सुनिश्चित किया जाता था। संरक्षक उन लोगों के जीवन–यापन के लिए भोजन भी सुनिश्चित करते थे जो उनकी सेवा करते थे, जो विशेषज्ञ सेवाएँ प्रदान करते थे उन्हें उनकी सेवाओं के मूल्य के बराबर जमीन की उपज यानी अनाज का एक निश्चित भाग और कपड़े और कभी–कभी आर्थिक महत्व की कोई चीज प्रदान की जाती थी।

अत: यह कहा जा सकता है कि जजमानी व्यवस्था

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

एक वितरण व्यवस्था है, जिसमें उच्च जाति के भूस्वामी परिवारों को निम्न जाति के लोगों के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सेवक जाति के लोगों को 'कमीन' कहकर पुकारा जाता है, जबकि सेवित जातियों को 'जजमान' कहा जाता है। सेवक जातियों को उनकी सेवा के बदले में नकद या वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता है।

जजमानी व्यवस्था की परिभाषा– हैराल्ड गाउल्ड– ये यजमानी प्रथा को संरक्षकों एवं सेवादारों के बीच अन्तर्पारिवारिक अन्तर्जातीय संबंध कहा है, जो आध ीनस्थ एवं आधीनकर्ता के बीच होते हैं। संरक्षक लोग स्वच्छ जाति के होते हैं जबकि सेवादार अस्वच्छ एवं निम्न जाति के। यह कहा जा सकता है कि यजमानी प्रथा वितरण की व्यवस्था है जिसमें उच्च जाति के भूस्वामी परिवारों को विभिन्न निम्न जातियों, जैसे बढ़ई, नाई, कुम्हार, लोहार, धोबी, भंगी, आदि के द्वारा सेवाएँ या उत्पाद उपलब्ध ा कराए जाते हैं। सेवादार जातियों को 'कमीन' कहा जाता है जबकि सेव्यों को 'यजमान' कहा जाता है। प्रदत्त सेवाओं के बदले सेवादारों को नकद या वस्तु के रूप में (अनाज, चारा, कपड़े, दूध आदि) भुगतान किया जाता है।

योगेन्द्र सिंह – ने यजमानी व्यवस्था को एक ऐसी व्यवस्था कहा है जो गाँवों में आधारित अन्तर्जातीय संबंधों में आपसी आदान–प्रदान पर आधारित संबंधों से नियन्त्रित होती है।

ईश्वरन– ने यजमानी व्यवस्था के संदर्भ में (दक्षिण भारत में मैसूर में इसे 'आया' पुकारा जाता है)कहा है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक जाति को सामुदायिक जीवन में समग्र रूप से एक भूमिका निभानी होती है। यह भूमिका आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक कार्य करने की होती है।

जजमानी व्यवस्था की अवधारणा– जजमानी व्यवस्था परम्परागत व्यावसायिक कर्तव्यों (वबबनचंजपवदंस वइसपहंजपवदे) की व्यवस्था है। प्राचीन भारत में जातियां एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर होती थीं। एक ग्रामीण व्यक्ति परम्परागत विशिष्ट व्यवसाय उसकी जाति को सौंपी गयी विशेषज्ञता के आधाार पर अपनाता था। व्यवसाय के विशिष्टिकरण ने ग्रामीण समाज में सेवाओं के आदान–प्रदान को जन्म दिया। सेवाकर्त्ता (servicing) और सेवित (served) जातियों के बीच यह सम्बन्धा व्यक्तिगत, अस्थाई सीमित तथा संविदात्मक (contractual) नहीं था, बल्कि यह जाति–अभिमुख, स्थाई और विस्तृत समर्थन देने वाला था। वह व्यवस्था जिसमें भूमिस्वामी (land owning) परिवार तथा उन भूमिहीन परिवारों में, जो उसे वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं, स्थाई सम्बन्ध मिलते हैं, उसे जजमानी व्यवस्था कहा जाता है।

योगेन्द्र सिंह ने जजमानी व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहा है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जो गांवों के अन्तर्जातीय संबंधों में पारस्परिकता पर आधारित संबंमा द्वारा नियंत्रित होती है। ईश्वरन ने जजमानी व्यवस्था (जिसे दक्षिण भारत में मैसूर में आया कहा जाता है) के संदर्भ में कहा है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सम्पूर्ण सामुदायिक जीवन में प्रत्येक जाति को एक भूमिका निभानी होती है। इस भूमिका में आर्थिक, सामाजिक, एवं नैतिक कार्य होते हैं।

जजमानी सम्बन्ध कभी–कभी वस्तुओं की आपूर्ति के आधाार पर दो या दो से अधिक जातियों के सम्बन्ध संविदात्मक हो सकते हैं, किन्तु जजमानी नहीं। उदाहरणार्थ, जिस जुलाहे को उसकी बनाई हुई और बची हुई वस्तु के लिये नकद भुगतान किया जाता है, वह प्रथा के अनुसार फसल में से हिस्से का अधिकारी नहीं होता है। वह न 'कमीन' है और न ही खरीदने वाला उसका 'जजमान'। फिर, जजमानी सम्बन्धों में कुछ ऐसी सेवाएं तथा वस्तुएं हो सकती हैं जिनका अनुबन्मा होता है और पृथक से भुगतान भी उदाहरण के लिये गांव में रस्सी बनाने वाली जजमानी व्यवस्था के अन्तर्गत किसान को सभी आवश्यक रस्सियों की पूर्ति करते हैं, केवल उस रस्सी के जो कुएं में उपयोगी होती है और काफी लम्बी और मोटी होती है। किसान को उसके लिए अलग से भुगतान देना होता है। जजमानी सम्बन्धों में धार्मिक कृत्यों, सामाजिक समर्थन तथा आर्थिक आदान–प्रदान सभी का समावेश है। सेवक जातियां जजमान के घर जन्म, विवाह, और मृत्यु के अवसरों पर धार्मिक संस्कारिक समारोहों में कर्तव्यों का पालन करते हैं।

उदाहरणार्थ, बालक के जन्म की दावत के समय ब्रांहण नामकरण संस्कार कराता है, सुनार नवजात शिशु के लिये स्वर्ण आभूषण उपलब्ध कराता है, धाोबी गन्दे कपड़े ध ोता है, नाई सन्देश वाहन का कार्य करता है, खाती वह पट्टा बनाता है द्य जिस पर बच्चे को नामकरण के लिये बिठाया जाता है, लोहार लोहे का कड़ा बनाता है, कुम्हार कुल्हड़ आदि पानी पीने तथा सब्जियां आदि रखने के लिये उपलब्ध कराता है, पासी भोजन के लिये पत्तलें जुटाता है तथा भंगी दावत के बाद सफाई का काम करता है। वे सभी लोग जो इस प्रकार सहयोग करते हैं उपहार रूप में भोजन, वस्त्र और मान प्राप्त करते हैं जो आंशिक रूप से प्रथा पर, आंशिक रूप से जजमान के आर्थिक स्तर पर तथा आंशिक रूप से प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर निर्भर करता हैं ।

'कमीन' (निम्न जातियां) जो अपने 'जजमानों'

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

(उच्च जातियां) को विशिष्ट कुशलता एवं सेवाएं प्रदान करते हैं, स्वयं भी दूसरों से वस्तुएं तथा सेवाएं चाहते हैं। हैरोल्ड गूल्ड के अनुसार ये निम्न जातियां या तो प्रत्यक्ष रूप से श्रम के आदान–प्रदान द्वारा मान या वस्तु के रूप में भुगतान के माध्यम से अपनी स्वयं की जजमानी व्यवस्था कर लेते हैं। मध्यम जातियां भी निम्न जातियों के समान ही या तो सेवाओं के बदले नकद भुगतान के रूप में या सेवाओं के आदान–प्रदान के रूप में एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों का पालन करती हैं।

कमीन अपने जजमानों को न केवल वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं बल्कि उनके लिये वे कार्य भी करते हैं जो उन्हें (जजमानों को) अपवित्र करती हैं उदाहरणार्थ, (धोबी द्वारा) गन्दे कपड़ों का धोना, (नाई द्वारा) बालों का काटना, (नायन द्वारा) बच्चे का जन्म दिलाना, तथा (भंगी द्वारा) स्नान गृहध्शौच घर आदि की सफाई करना, आदि। यद्यपि धोबी, नाई, लोहार, आदि स्वयं निम्न जाति में आते हैं फिर भी वे हरिजनों की 'कमीन' के रूप में सेवा नहीं करते और न ही ब्राह्मण इन निम्न जातियों को अपना जजमान बनाते हैं, तथापि जब निम्न जाति परिवार समृद्ध हो जाते हैं तब वे दूषित व्यवसाय को त्याग देते हैं और संस्कार विशेषज्ञों (तपजनंस`चमबपंसपेजे) की सेवाएं प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और इसमें सफल भी हो जाते हैं।

व्यक्ति एवं समाज का संतुलित समन्वय– विश्वबंधुत्व की भावना एवं उसका प्रचार, जिसके कारण सांस्कृतिक समन्वय संभव हुआ है। लुईस इयूमाजी.एस. पूरिए मेडलबाम, योगेंद्र सिंह, एम. एन. श्रीनिवास, एस.सी. दूबे आन्द्रे येते, इरावती कर्वे, डी.एन. मजूमदार, हिचकॉक आदि कई विद्वानों द्वारा भारतीय समाज का अध्ययन किया गया है। योगेंद्र सिंह ने भारतीय समाज के चार प्रमुख संरचनात्मक एवं परंपरागत लक्षण प्रस्तुत किए हैं –
1. श्रेणीबद्धता या संस्तरण, 2. समग्रवाद अथवा संपूर्णवाद, 3. निरंतरता , 4. लौकातीतत्व ।

जजमानी सम्बन्ध जातियों की अपेक्षा परिवारों में होते हैं। इस प्रकार राजपूत जाति का परिवार गांव में लोहार जाति के एक विशेष परिवार के धातु के औजार प्राप्त करता है, न कि गांव के सभी लोहार जातियों से। इसी विशिष्ट लोहार परिवार को ही फसल पर राजपूत परिवार की फसलों में से एक भाग मिलेगा न कि दूसरे लोहार परिवारों को। लोहार और राजपूत दो परिवारों के बीच यह जजमानी सम्बन्ध स्थायी हैं, क्योंकि लोहार परिवार उसी राजपूत परिवार की सेवा करता रहता है, जिसकी सेवा उसके पिता और दादा करते थे। राजपूत परिवार भी अपने औजार और उनकी मरम्मत उसी लोहार परिवार से कराता है जिससे उसके पूर्वज कराया करते थे। यदि सम्बद्ध परिवारों में से एक परिवार समाप्त हो जाता है, तो उस परिवारों वंशज उस स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, उपर्युक्त प्रकरण मे अगर लोहार के परिवार में अधिक पुत्र हैं, जिन सभी को उनका जजमान राजपूत परिवार संरक्षण नहीं दे सकता तो कुछ लोहार पुत्र दूसरे स्थानों पर जाकर नये सहयोगी ढूंढ लेते हैं द्य जहां लोहारों की कमी होती है।

ओरेन्सटीन ने माना है कि गांव के पदाधिकारी कर्मचारी या ग्रामीण सेवकों के परिवार (जैसे चौकीदार) गांव में विशेष परिवारों की अपेक्षा सम्पूर्ण गांव से जजमानी सम्बन्धों को मानते हें। इस प्रकार चौकीदार के परिवार को गांव के प्रत्येक भूस्वामी कृषक परिवार से फसल के समय कुछ न कुछ योगदान प्राप्त होता है। गांव के सेवक गांव की जमीन का कर मुक्त प्रयोग भी कर सकते हैं। कुछ सेवक परिवार व्यक्तिगत परिवारों की अपेक्षा गांव के एक हिस्से से जजमानी सम्बन्ध बनाये रखते हें। ऐसे सेवक परिवारों को गांव के उस विशेष भाग में रहने वाले सभी परिवारों की सेवा करने का अधिकार होता है।

जजमानी व्यवस्था के सन्दर्भ में कोलेन्डा ने कहा है: हिन्दू जजमानी व्यवस्था को भारतीय गांवों में एक संस्था या सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है, जो कि भूमिकाओं तथा प्रतिमानों के जाल द्वारा बनी होती है। यह जाल भूमिकाओं तथा सम्पूर्ण व्यवस्था से गुंथा होता है जिसे सामान्य सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा वैधता एवं समर्थन प्राप्त होता है। जजमानी व्यवस्था में जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण आवश्यक है वे हैं: इस व्यवस्था का कार्य क्या है? इसमें कौन सी भूमिकाएं निहित हैं? इसके प्रतिमान और मूल्य क्या हैं? इस व्यवस्था में शक्ति और अधिकारों का वितरण किस प्रकार होता है? यह व्यवस्था दूसरी व्यवस्थाओं से किस प्रकार सम्बन्धित है? व्यवस्था बनाये रखने की क्या प्रेरणा है? व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए हैं?

तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन– उत्तरदाताओं ने अपने अपने तरीके से उत्तर दिया। विभिन्न पक्षों पर पूछे गए प्रश्न उन्होंने सुना समझा और अपने विवेक के आधार पर इन प्रश्नों का जवाब दिया। प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हुए और इन उत्तरों से जो तथ्य उभर सामने आए उनका संग्रहण किया गया उन्हें अपनी अपनी कोटि के हिसाब से जैसे– शिक्षा ,बेरोजगारी ,नगरीय शासकीय, प्रजाति, लिंग इत्यादि के आधार पर उन्हें अलग–अलग श्रेणी बंद किया गया। उन्हें सारणीयन किया गया। सारणीयन के पश्चात हमें प्रतिशत में कई आंकड़े उपलब्ध हो गए। प्रतिशत आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात कई ढेर सारे

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

आयाम उभरकर सामनेआए हैं। इन आयामों को गौर से देखने से यह पता चलता है कि उत्तरदाताओं ने अपने हिसाब से उत्तर देने में तथ्य प्रदान करने में कोई कमी नहीं की है

सामान्यकरण– उपरोक्त शीर्षक पर शोध करने के पश्चात हम कई पक्षों पर पहुंचते हैं। उत्तरदाताओं से उनका उत्तर जानने के बाद हम कई निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। विभिन्न विद्वानों ने जैसे योगेंद्र सिंह,पन्नीकर जी, एस सी दुबे, जी एस घुरिये तथा नए समाजशास्त्रियों ने इस पर ढेर सारे विचार दिए हैं ।उनमें से कई ने ढेर सारे कार्य किए हैं। उत्तरदाताओं के जवाब एवं पूर्व अध्ययनों की समीक्षा के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जजमानी व्यवस्था परंपरागत भारतीय समाज का अभिन्न अंग रहा है। यह लोगों को कार्य देने उनसे कार्य कराने का एक नायाब तरीका रहा है। प्रत्येक जाति समूह के लिए यह अपने अपने स्तर पर कार्य उपलब्ध करवाता रहा है। चाहे ब्राह्मण हो या बढ़ई, तेली हो या बनियासभी लोगों को जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कार्य मिल जाते थे। इन्हीं कार्यों को करके वह अपने जीवन को गुजारते थे ।आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अतिथि के आगमन पर पड़ोसी के यहां से सब्जी लाने,अचार लाने ,चटनी लाने की प्रथा बरकरार है। परंपरागत भारतीय समाज में एकजुटता की भावना को लाने के लिए जजमानी व्यवस्था अपनी भूमिका के लिए समीचीन रहा है। ए आर देसाई ने भी जजमानी व्यवस्था को समाज के लिए लगभग उचित ठहराया है हालांकि उनका विचार आर्थिक रहा है, वही आधुनिक समाज शास्त्रियों ने इसे और अधिक सम्मान दिया है लेकिन उत्तर आधुनिक समाज शास्त्रियों ने इसे कहीं कहीं शोषण का कारण ही बताया है। जजमानी व्यवस्था एवं भारतीय समाज दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। व्यक्ति जहां ऐसे समय में जब उसे कार्य नहीं मिलता था । उस समय किसी के घर में यज्ञ होने पर उसे चार–पांच दिन के लिए कार्य मिलता था। जहां वह कार्य करके अपना जीविकोपार्जन करता था, वही यज्ञकर्ता को गांव के किसी व्यक्ति द्वारा सहयोग करने पर उसे अपार खुशी होती थी। जो कार्य को सरलीकरण की ओर ले जाता था । जजमानी व्यवस्था कहीं ना कहीं भारतीय समाज के लिए, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक एक महान औषधि रहा है।

परंपरा के आधुनिकीकरण के दौर में यजमानी व्यवस्था आज पूर्णतः प्रभावित हो गया है।परिवार, जाति, नातेदारी, विवाह, अंतःक्रियां इत्यादि में हुए परिवर्तन ने यज्मानी व्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी है। हालाकि सभ्य समाज में इसकी उपस्थिति बदले हुए स्वरूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। सर्विस इकोनॉमी यजमानी व्यवस्था का संशोधित रूप है।

परंपरागत भारतीय समाज में यजमानी व्यवस्था का प्रचलन यजमान एवम कमीन के मध्य पारस्परिक निर्भरता के लिए रहा है, वही आज यह संशोधित रूपों में अतिग्रामीन, जनजातीय तथा आदिम जनजाति के बीच पाया जा रहा है। यद्यपि यह सभ्य एवम नगरीय समाज से विलुप्त होता जा रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. एस. सी.दुबेः भारतीय समाज ।
2. योगेंद्र सिंह : भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण।
3. राम आहूजा : भारतीय समाज ।
4. प्रथम हिंदी जर्नल ।
5. दैनिक भास्कर ।
6. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.सूचनाभरत. कम ।
7. डा. गोपीकृष्ण प्रसादः भारतीय सामाजिक संस्थाएं।

*****